

**उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर**

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 115/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 136 एल.आर.एक्ट

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. रणजीत सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज           | } | जाति जाट निवासीयान चक 18 जीजी, गोविन्दपुरा<br>तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)<br>– वादीगण |
| 2. महावीर प्रसाद पुत्र श्री पृथ्वीराज        |   |   |
| 3. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह |   |   |
| 4. श्रीमती कलावती पत्नी महावीर प्रसाद        |   |   |

**बनाम**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज   | } | जाति जाट निवासीयान चक 18 जीजी, गोविन्दपुरा<br>तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) |
| 2. श्रीमती विनोद पत्नी सुरेन्द्र   |   |   |
| 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर। |   |   |

–प्रतिवादीगण

उपस्थित-अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी

अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी

पैरोकार राज

वादीगण

प्रतिवादीगण 1 व 2

(प्रति.-3)

**--: निर्णय :-**

दिनांक 16.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के स्थाई एवं पंजीकृत पते वही हैं जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित हैं। वाद दो प्रतियों में पेश है तथा वाद के समर्थन में शपथ पत्र एवं जमाबन्दी आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं तथा पृथ्वीराज के वंशज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(A)- चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 61/53 के मुख्वा नम्बर 42 व 51 की कुल 5.187 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी में से वादी संख्या 1 रणजीत पुत्र पृथ्वीराज के नाम 573/1729 हिस्सा यानि 1.719 है, वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर पुत्र पृथ्वीराज के नाम 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है, जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

(B)- चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 36/30 के मुख्वा नम्बर 50 व 57 की कुल 2.678 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादीया संख्या 3 दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह के नाम 446/1339 हिस्सा यानि 0.892 है, वादीया संख्या 4 कलावती पत्नी महावीर प्रसाद के नाम 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है, प्रतिवादीया संख्या 2 विनोद पत्नी सुरेन्द्र के नाम 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है, जमाबन्दी



*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर



मुताबिक दर्ज है।

(C)- चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 62/55 के मुख्बा नम्बर 26 की कुल 2.532 है. नहरी कृषि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी संख्या 1 रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 175/633 हिस्सा यानि 0.700 वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है., प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है. जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

(D)- चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 22/17 के मुख्बा नम्बर 25 की कुल 3.847 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी संख्या 1 रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 321/3847 हिस्सा यानि 0.321 है., वादी संख्या 2 महावीर सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है., प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है शेष कृषि भूमि अन्य काश्तकारान के नाम से दर्ज है।

(E)- चक 1 जी छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 68/30 के मुख्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी में से वादी संख्या 1 रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम 1439/2530 हिस्सा यानि 1.439 है., वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम 547/2530 हिस्सा यानि 0.547 है., प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम 272/1265 हिस्सा यानि 0.544 है. जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

(F)- चक 1 G छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 69/47 के मुख्बा नम्बर 29 की कुल 2.530 है. बारानी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है., प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है. जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है।

उपरोक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यो (वादीगण संख्या 1 से 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की कृषि आय से खरीद की गई होने व विरास्त में प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन सम्पति है। पक्षकारान ने काफी वर्ष पूर्व पूरे परिवार ने मिल बैठकर अपनी सहमति से उपरोक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि का किस्म अनुसार घरू बंटवारा कर लिया था एवं उसी घरू बंटवारा अनुसार मौका पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान द्वारा किया गया घरू बंटवारा निम्न प्रकार है :-

चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 61/53 के मुख्बा नम्बर 42 व 51 की कुल 5.187 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.687 है. कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को व शेष 4.500 है. कृषि भूमि रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त हुई।

चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 36/30 के मुख्बा नम्बर 50 व 57 की कुल 2.678 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से में से मुख्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15/2 की 0.024 है. व 16/1 की 0.181 है. उतरी हिस्सा कुल 0.205 है. नहरी कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति


७७

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0) को एवं मुरब्बा नम्बर 50 के  
नम्बर 16/1 की 0.047 है. दक्षिणी हिस्सा, 17 की 0.253 है., 18 की 0.248 है. उतरी हिस्सा कुल 0.548  
नहरी कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद को एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 18 की 0.005 है.  
दक्षिणी हिस्सा, 21/1 (0.228 है.), 21/2 (0.025 है. खाला), 22 (0.253 है.), 23(0.253है.), 24(0.253है.), 25/1  
(0.226 है.), 25/2(0.101 है.) = 1.244 है. (1.219 है. नहरी + 0.025 है. खाला) कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 57  
किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 4/1(0.202 है.), 4/2(0.025 है.खाला), 5/1  
(0.202है.), 5/2(0.025 है. खाला) = 0.681 है. (0.606 है. नहरी + 0.075 है. खाला ) कुल 1.925 है. [1.825 है.  
नहरी + 0.100 है.खाला] कृषि भूमि विनोद पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त हुई। चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 62/55 के  
मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 2.532 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट  
निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्राप्त हुई। चक 18 GG पटवार हल्का  
18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त  
खाता संख्या 22/17 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.847 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में  
से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 321/3847 हिस्सा यानि 0.321 है., महावीर सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम  
320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है., व सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है.  
कुल 0.961 है. कृषि भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील  
व जिला श्रीगंगानगर को प्राप्त हुई।

चक 1 जी छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत्  
2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 68/30 के मुरब्बा न. 54 की कुल 2.530 है.  
नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.345 है. कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी  
चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को व 2.185 है. कृषि भूमि महावीर प्रसाद  
पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त  
हुई। चक 1 G छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073  
जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 69/47 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 2.530 है. बरानी  
कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त हुई।

उपरोक्त मद में वर्णित घरू बंटवारा के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण पिछले काफी वर्षों से  
भूमि में काश्त कर रहे हैं एवं घरू बंटवारा के अनुसार ही काबिज होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त पैतृक  
सम्पति के मालखाना, आबयाना एवं राजस्व कर व सिंचाई कर अदा करते आ रहे हैं लेकिन भूमि राजस्व  
रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं बंटवारा अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को राजस्व  
अदा करने, सिंचाई कर जमा करवाने एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधायें/रियायतें  
एवं समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय करने में काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। वादीगण ने कई बार  
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को पारस्परिक सहमति से घरू बंटवारा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने  
एवं विधिवत बंटवारा करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बिना किसी आधार के टालमटोल  
करते रहे तथा घरेलू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु आश्वासन देते रहे, इस  
प्रकार सदमावित रूप से समय व्यतीत होता रहा आखिरकार आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को, वादीगण ने  
जोर देकर कहा तो अपनी प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं वादीगण को कहा कि हम तो  
घरू बंटवारा को नहीं मानते एवं अच्छी किस्म की भूमि हमारे नाम दर्ज करवायेंगे, आपको जो करना है सो कर  
लो। बस यही वाद कारण है जो प्रतिवादीगण द्वारा दी गई धमकी से वादीगण को प्राप्त है। विवादित कृषि भूमि

  
उपबन्ध अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर पुरा संयुक्त हिन्दु परिवार पिछले काफी वर्षों से भूमि की कर्म के अनुसार किये गये घरू बंटवारा के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। घरू बंटवारा अनुसार ही काश्त होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व कर एवं सिंचाई कर अदा करते आ रहे हैं एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा अनुसार ही भूमि में अपनी व अपने परिवार के मेहनत एवं लाखों रूपये खर्च कर भूमि को काबिले काश्त बनाया है एवं घरू बंटवारा अनुसार ही संयुक्त परिवार के सदस्यों ने अपनी भूमि मानते हुए उसमें सुधार, विकास, बागवानी हेतू सिंचाई जल भण्डारण हेतू डिगियां, पाईप लाईन, छायादार एवं फलों के पेड़ लगाये हुए हैं। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण घरू बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से तक विवादित पैतृक सम्पत्ति के खातेदार कृषक हैं एवं इस आशय की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने के पूर्ण अधिकारी हैं एवं वादीगण घरू बंटवारा अनुसार माननीय न्यायालय से विधिवत बंटवारा करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 का चक 18 जीजी के खाता संख्या 61/53 में नाम "सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर" व खाता संख्या 62/55 में नाम "सुरेन्द्र कुमार" व खाता संख्या 22/17 में नाम "सुरेन्द्र चौधरी" व खाता संख्या 68/30 में नाम "सुरेन्द्र सिंह" अंकित है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजात में नाम "सुरेन्द्र सिंह" अंकित है जबकि "सुरेन्द्र चौधरी" एवं "सुरेन्द्र कुमार" व "सुरेन्द्र सिंह" एक ही व्यक्ति है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम कृषि भूमि के रिकार्ड में "सुरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीराज" दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी संख्या 1 व 2 के पिता का कई जगह नाम "पृथ्वीराज" एवं कई जगह "पृथ्वीसिंह" अंकित है जबकि पृथ्वीराज व पृथ्वीसिंह एक ही व्यक्ति है जिसे दुरुस्त करवाकर "पृथ्वीराज" करवाना चाहते हैं। उक्त नाम की भिन्नता लिपिकीय त्रुटी के कारण हुई है जिसे धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण दुरुस्त करवाने के अधिकारी हैं। वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद दो प्रतियों में मय शपथ पत्र पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

(क). कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 61/53 के मुरब्बा नम्बर 42 व 51 की कुल 5.187 है नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से रणजीत पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 573/1729 हिस्सा यानि 1.719 है., महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है. व सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर पुत्र पृथ्वीराज के नाम 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है., कुल 5.187 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.687 है. कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की व शेष 4.500 है. कृषि भूमि रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख). कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 36/30 के मुरब्बा नम्बर 50 व 57 की कुल 2.678 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह के नाम दर्ज 446/1339 हिस्सा यानि 0.892 है., कलावती पत्नी महावीर प्रसाद के नाम दर्ज 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है., विनोद पत्नी सुरेन्द्र के नाम 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15/2 की 0.024 है. व 16/1 की 0.181 है. उत्तरी हिस्सा कुल 0.205 है. नहरी कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0) की घोषित कर अलग से लगान कायम किया जावे एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 16/1 की 0.047 है. दक्षिणी हिस्सा, 17 की 0.253 है., 18 की 0.248 है. उत्तरी हिस्सा कुल 0.548 है. नहरी कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की

  
सिद्ध अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

घोषित कर अलग से लगान कायम किया जावे एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 18 की 0.005 है. दक्षिणी हिस्सा 21/1 (0.228 है.), 21/2 (0.025 है. खाला), 22 (0.253 है.), 23(0.253 है.), 24(0.253 है.), 25/1(0.208 है.), 25/2(0.101 है.) = 1.244 है. (1.219 है. नहरी + 0.025 है. खाला) कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 4/1(0.202 है.), 4/2(0.025 है.खाला), 5/1(0.202 है.), 5/2(0.025 है. खाला) = 0.681 है. (0.606 है. नहरी + 0.075 है. खाला ) कुल 1.925 है. {1.825 है. नहरी + 0.100 है.खाला} कृषि भूमि विनोद पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित कर अलग से लगान कायम किया जावे।

(ग.) कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 62/55 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 2.532 है. नहरी कृषि भूमि में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 175/633 हिस्सा यानि 0.700 है., महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

(घ.) कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 22/17 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.847 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 321/3847 हिस्सा यानि 0.321 है., महावीर सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है., व सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है. कुल 0.961 है. कृषि भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

(ङ.) कि चक 1 जी छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 68/30 के मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम दर्ज 1439/2530 हिस्सा यानि 1.439 है., महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज 547/2530 हिस्सा यानि 0.547 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम 272/1265 हिस्सा यानि 0.544 है. जमाबन्दी मुताबिक में से 0.345 है. कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की व 2.185 है. कृषि भूमि महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(च.) कि चक 1 G छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 69/47 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 2.530 है. बारानी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है., सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है. जमाबन्दी मुताबिक महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(छ.) कि चक 18 जीजी के खाता संख्या 61/53 में अंकित "सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर" व खाता संख्या 62/55 में अंकित "सुरेन्द्र कुमार" व खाता संख्या 22/17 में अंकित "सुरेन्द्र चौधरी" व खाता संख्या 68/30 में अंकित "सुरेन्द्र सिंह" को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर "सुरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीराज" दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

(ज.) उक्त घोषित अनुसार एवं बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(झ.) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ञ.) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

उपबन्ध अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

वादीगणगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर दिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार 18 जीजी एव 1 जी छोटी की कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया हुआ है :-

चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 61/53 के मुरब्बा नम्बर 42 व 51 की कुल 5.187 है। नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.687 है। कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को व शेष 4.500 है। कृषि भूमि रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त हुई।


चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 36/30 के मुरब्बा नम्बर 50 व 57 की कुल 2.678 है। नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से में से मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15/2 की 0.024 है व 16/1 की 0.181 है। उतरी हिस्सा कुल 0.205 है। नहरी कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0) को एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 16/1 की 0.047 है। दक्षिणी हिस्सा, 17 की 0.253 है, 18 की 0.248 है। उतरी हिस्सा कुल 0.548 है। नहरी कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद को एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 18 की 0.005 है। दक्षिणी हिस्सा, 21/1 (0.228 है), 21/2 (0.025 है। खाला), 22 (0.253 है), 23(0.253 है), 24(0.253 है), 25/1 (0.126 है), 25/2(0.101 है) = 1.244 है। (1.219 है। नहरी + 0.025 है। खाला) कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1(0.202 है), 3/2(0.025 है। खाला), 4/1(0.202 है), 4/2(0.025 है।खाला), 5/1 (0.202 है), 5/2(0.025 है। खाला) = 0.681 है। (0.606 है। नहरी + 0.075 है। खाला ) कुल 1.925 है। (1.825 है। नहरी + 0.100 है।खाला) कृषि भूमि विनोद पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त हुई।

चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 62/55 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 2.532 है। नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्राप्त हुई।

चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 22/17 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.847 है। नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 321/3847 हिस्सा यानि 0.321 है, महावीर सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है, व सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है। कुल 0.961 है। कृषि भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्राप्त हुई।

चक 1 जी छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 68/30 के मुरब्बा न. 54 की कुल 2.530 है। नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.345 है। कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को व 2.185 है। कृषि भूमि महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त हुई।

चक 1 G छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 69/47 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 2.530 है। बारानी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को प्राप्त हुई।

  
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर


अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर करवाए गए राजीनामा को तस्दीक किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि का निम्न प्रकार विभाजन घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है :-

(क) कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 61/53 के मुख्बा नम्बर 42 व 51 की कुल 5.187 है नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से रणजीत पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 573/1729 हिस्सा यानि 1.719 है, महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है. व सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर पुत्र पृथ्वीराज के नाम 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है, कुल 5.187 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.687 है. कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की व शेष 4.500 है. कृषि भूमि रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 36/30 के मुख्बा नम्बर 50 व 57 की कुल 2.678 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह के नाम दर्ज 446/1339 हिस्सा यानि 0.892 है., कलावती पत्नी महावीर प्रसाद के नाम दर्ज 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है., विनोद पत्नी सुरेन्द्र के नाम 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुख्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15/2 की 0.024 है. व 16/1 की 0.181 है. उत्तरी हिस्सा कुल 0.205 है. नहरी कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0) की घोषित कर अलग से लगान कायम किया जावे एवं मुख्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 16/1 की 0.047 है. दक्षिणी हिस्सा, 17 की 0.253 है., 18 की 0.248 है. उत्तरी हिस्सा कुल 0.548 है. नहरी कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित कर अलग से लगान कायम किया जावे एवं मुख्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 18 की 0.005 है. दक्षिणी हिस्सा, 21/1 (0.228 है.), 21/2 (0.025 है. खाला), 22 (0.253 है.), 23(0.253है.), 24(0.253है.), 25/1(0.126 है.), 25/2(0.101 है.) = 1.244 है. (1.219 है. नहरी + 0.025 है. खाला) कृषि भूमि व मुख्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 4/1(0.202 है.), 4/2(0.025 है.खाला), 5/1(0.202है.), 5/2(0.025 है. खाला) = 0.681 है. (0.606 है. नहरी + 0.075 है. खाला ) कुल 1.925 है. [1.825 है. नहरी + 0.100 है.खाला] कृषि भूमि विनोद पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित कर अलग से लगान कायम किया जावे।

(ग) कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 62/55 के मुख्बा नम्बर 26 की कुल 2.532 है. नहरी कृषि भूमि में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 175/633 हिस्सा यानि 0.700 है., महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

(घ) कि चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 22/17 के मुख्बा नम्बर 25 की कुल 3.847 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 321/3847 हिस्सा यानि 0.321 है., महावीर सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है., व सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है. कुल 0.961 है. कृषि भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

कि चक 1 जी छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 68/30 के मुख्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम दर्ज 1439/2530 हिस्सा यानि 1.439 है., महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज 547/2530 हिस्सा यानि 0.547 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम 272/1265 हिस्सा यानि 0.544 है. जमाबन्दी मुताबिक में से 0.345 है. कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की व 2.185 है. कृषि भूमि महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

कि चक 1 G छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 69/47 के मुख्बा नम्बर 29 की कुल 2.530 है. बाराणी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है., सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है. जमाबन्दी मुताबिक महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।


(छ.) कि चक 18 जीजी के खाता संख्या 61/53 में अंकित "सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर" व खाता संख्या 62/55 में अंकित "सुरेन्द्र कुमार" व खाता संख्या 22/17 में अंकित "सुरेन्द्र चौधरी" व खाता संख्या 68/30 में अंकित "सुरेन्द्र सिंह" को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर "सुरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीराज" दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होने एवं प्रकरण में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासीयान चक 18जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी जी भूअ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 61/53 प्रदर्श-1, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी जी भूअ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 36/30 प्रदर्श-2, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी जी भूअ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 62/55 प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी जी भूअ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 22/17 प्रदर्श-4, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 चक 1 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला, भूअ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 68/30 प्रदर्श-5, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 चक 1 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला, भूअ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 69/47 प्रदर्श-6 प्रदर्शित करवाये गये। वादी रणजीत सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 18 जीजी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/- रूपये इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि बाबत भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। उक्त अनवानी वाद में कृषि भूमि में मेरे व मेरे तीनों भाईयों के समस्त हिस्सेदारों को पक्षकारा संयोजित कर वाद दायर किया गया है। उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के ऋण भार की बाबत पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है यदि ऋण भार की बाबत कोई जवाब देवी होती है तो उसके लिए मिकर स्वयं उत्तरदायी होगा।

वकील उमयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी जी भूअ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 61/53 प्रदर्श-1, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी जी भूअ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 36/30 प्रदर्श-2, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी जी भूअ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 62/55 प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 18 जी जी पटवार हल्का 18 जी

  
प्रमुख अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

श्री भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 22/17 प्रदर्श-4, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 चक 1 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 68/30 प्रदर्श-5, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 चक 1 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 69/47 प्रदर्श-6 के अवलोकन एवम् वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तवेजात प्रदर्श-1 से प्रदर्श-6 एवम् वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976, एससीड 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

### —:: आदेश ::—

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

- (क). चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 61/53 के मुख्बा नम्बर 42 व 51 की कुल 5.187 है नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से रणजीत पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 573/1729 हिस्सा यानि 1.719 है, महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है व सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर पुत्र पृथ्वीराज के नाम 578/1729 हिस्सा यानि 1.734 है, कुल 5.187 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.687 है. कृषि भूमि दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की व शेष 4.500 है. कृषि भूमि का रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।
- (ख). चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 36/30 के मुख्बा नम्बर 50 व 57 की कुल 2.678 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह के नाम दर्ज 446/1339 हिस्सा यानि 0.892 है, कलावती पत्नी महावीर प्रसाद के नाम दर्ज 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है, विनोद पत्नी सुरेन्द्र के नाम 893/2678 हिस्सा यानि 0.893 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुख्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 15/2 की 0.024 है व 16/1 की 0.181 है. उत्तरी हिस्सा कुल 0.205 है. नहरी कृषि भूमि का दुर्गा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुख्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 16/1 की 0.047 है. दक्षिणी हिस्सा, 17 की 0.253 है, 18 की 0.248 है. उत्तरी हिस्सा कुल 0.548 है. नहरी कृषि भूमि का कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 18

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 18 की 0.005 है. दक्षिणी हिस्सा, 21/1 (0.228 है.), 21/2 (0.025 है. खाला), 22 (0.253 है.), 23(0.253है.), 24(0.253है.), 25/1(0.126 है.), 25/2(0.101 है.) = 1.244 है. (1.219 है. नहरी + 0.025 है. खाला) कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 4/1(0.202 है.), 4/2(0.025 है.खाला), 5/1(0.202है.), 5/2(0.025 है. खाला) = 0.681 है. (0.606 है. नहरी + 0.075 है. खाला ) कुल 1.925 है. (1.825 है. नहरी + 0.100 है. खाला) कृषि भूमि का विनोद पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

(ग). चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 62/55 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 2.532 है. नहरी कृषि भूमि में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 175/633 हिस्सा यानि 0.700 है., महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 229/633 हिस्सा यानि 0.916 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है।

(घ). चक 18 GG पटवार हल्का 18 GG तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 22/17 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.847 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 321/3847 हिस्सा यानि 0.321 है., महावीर सिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है., व सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम 320/3847 हिस्सा यानि 0.320 है. कुल 0.961 है. कृषि भूमि का सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी, गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है।

(ङ). चक 1 जी छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 68/30 के मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी में से रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम दर्ज 1439/2530 हिस्सा यानि 1.439 है., महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज 547/2530 हिस्सा यानि 0.547 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम 272/1265 हिस्सा यानि 0.544 है. जमाबन्दी मुताबिक में से 0.345 है. कृषि भूमि कलावती पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की व 2.185 है. कृषि भूमि का महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

(च). चक 1 G छोटी पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) के संयुक्त खाता संख्या 69/47 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 2.530 है. बारानी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है., सुरेन्द्र चौधरी पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है. जमाबन्दी मुताबिक का महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

(छ). कि चक 18 जीजी के खाता संख्या 61/53 में अंकित "सुरेन्द्र चौधरी उर्फ सिकन्दर" व खाता संख्या 62/55 में अंकित "सुरेन्द्र कुमार" व खाता संख्या 22/17 में अंकित "सुरेन्द्र चौधरी" व खाता संख्या 68/30 में अंकित "सुरेन्द्र सिंह" को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर "सुरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीराज" दर्ज

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

अनवान रणजीत सिंह बनाम सुरेन्द्र कुमार  
वाद मुकदमा नं. 115/2025

करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में  
अनवरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का  
राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा  
बहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।  
पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.07.2025 को जारी किया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



  
(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
उपखण्ड लेखपाल (राजस्व)  
श्रीगंगानगर